न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/63/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/250

अपीलार्थी — **बनाम** — **प्रत्यर्थी**

श्री प्रमोद सैनी पुत्र फूलचन्द,
नि0 मालोडी, पो. नारायणपुर, तह. नारायणपुर
जिला–अलवर (राज.)–301024

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 25.05.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14.06.2022

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.04.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 14.02.2022 (ग्राम मालोडी, तह. नारायणपुर अंतर्गत अतिक्रमण हटवाने संबंधी मेजरनामा पर की गई कार्यवाही) के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी 04 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपील अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण इस न्यायालय को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 1368 दिनांकः 08.06.22 के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. हमने अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील व प्रत्यर्थी द्वारा अपील के संबंध में प्रस्तुत जवाब का समग्रतापूर्वक मनन/परीक्षण किया।
7. अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय से संबंधित ना होकर तहसीलदार नारायणपुर के क्षेत्राधीन संधारित/नियंत्रणाधीन होने के कारण मूल आवेदन अन्तरित किया गया है यदि तहसीलदार नारायणपुर द्वारा प्रकरण में सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उक्त कार्यालय के प्रथम अपील अधिकारी **उपखण्ड अधिकारी, नारायणपुर** को उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील पेश की जा सकती है। इस न्यायालय से कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।
8. उक्त आलोक में अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथापि **लोकहित में तहसीलदार नारायणपुर** को निर्देशित किया जाता है कि अपील व आवेदन में वर्णित बिन्दुओं पर उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में विनिश्चय कर बिन्दुवार सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार पंजीकृत–पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ तहसीलदार नारायणपुर को भी प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित ।

(शिवप्रसाद मकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)